संख्या:101/2019/4106जेएल/22-3-19-100(114)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 03 दिसम्बर, 2019***

विषय: तिनका-तिनका इण्डिया एवार्ड-2019 के चयन हेतु जेल में रेडियो थीम पर आधारित कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34335/प्र0सु0अनु0-2, दिनांक 27-11-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्न तालिका के कालम-3 की कारागारों में निरूद्ध निम्नलिखित 05 विचाराधीन बंदियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागार में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कार्यक्रम समाप्ति के तत्काल उपरान्त बंदियों को उनकी निरूद्धि की कारागार पर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ वापस भेज दिया जायेगा :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	तुहिना पुत्र श्री सुनील सक्सेना	जि0का0आगरा	जि0का0लखनऊ
2	उदय स्वरूप पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद	जि0का0आगरा	जि0का0लखनऊ
3	इरशाद उर्फ कलुआ पुत्र मो0 शहीद अकबर	जि0का0 मथुरा	जि0का0लखनऊ
4	इकवाल उस्मानी पुत्र श्री सलीम	जि0का0 मथुरा	जि0का0लखनऊ
5	वि0म0बंदी ममता वर्मा पत्नी स्व0मुन्ना लाल वर्मा	जि0का0 बांदा	जि0का0लखनऊ

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:101/2019/4106जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, आगरा/मथुरा/बांदा/लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा/मथुरा/बांदा/लखनऊ।
5. अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार आगरा/मथुरा/बांदा/लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in